

123

राजस्व प्रकरण क्र. /निगरानी/2014

माननीय सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

R-3269-PR/14

श्रीमती संतोषबाई पति चन्दरसिंह

निवासी - ग्राम धतुरिया तहसील व जिला इन्दौर - आवेदिका

विरुद्ध

श्री जलवेत सिंह यादव
प्राथी/अभिभाषक इ.रा. दिनांक 02/09/14
को प्रस्तुत
556/02-9-2014

राजस्व म.प्र. 2014
दे 51481
09
16/9/14

18/9/14

- 1- प्रेमनारायण पिता श्री देवनारायण द्विवेदी
निवासी - ग्राम धतुरिया तहसील व जिला इन्दौर
- 2- दिलीप पिता श्री देवनारायण द्विवेदी
निवासी - ग्राम धतुरिया तहसील व जिला इन्दौर
- 3- राजेन्द्र पिता श्री देवनारायण द्विवेदी
निवासी - ग्राम धतुरिया तहसील व जिला इन्दौर
- 4- शैलेश पिता श्री देवनारायण द्विवेदी
निवासी - ग्राम धतुरिया तहसील व जिला इन्दौर
- 5- अन्तरसिंह मृत तर्फे वारिसगण -
 - 5(1). श्रीमती मालती पति अन्तरसिंही
 - 5(2). हेमसिंह पिता अन्तरसिंह
 - 5(3). संतोष पिता अन्तरसिंह
 - 5(4). ललिता पिता अन्तरसिंह
 सभी निवासी - ग्राम धतुरिया तहसील व जिला इन्दौर
- 6- प्रेमसिंह पिता मांगीलाल
निवासी - ग्राम धतुरिया तहसील व जिला इन्दौर
- 7- चन्दरसिंह पिता मांगीलाल
निवासी - ग्राम धतुरिया तहसील व जिला इन्दौर

- अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959

(Signature)



- 2 -

आवेदिका, श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, राजस्व इन्दौर द्वारा नायब तहसीलदार इन्दौर के प्र.क्र. 22/अ-6/12-13 में पुर्नविलोकन प्र.क्र. 05/12-13 दर्ज हुआ , में पारित आदेश दिनांक 11.01.2013 से असन्तुष्ट एवं दुखी होकर अन्य आधारों के अतिरिक्त निम्न आधारों पर सदर निगरानी प्रस्तुत करती है।

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य :-

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक क्रमांक 1 से 4 द्वारा रजिस्टर्ड विक्रयपत्र क्र. 35 दि. 04.04.2011 द्वारा ग्राम धतुरिया स्थित कृषि भूमि सर्वे नंबर 49/1 पैकी रकबा 0.537 हेक्टेयर क्रय की गई , उसके नामान्तरण हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर नामान्तरण चाहा गया। उक्त आवेदन पर से नायब तहसीलदार इन्दौर द्वारा प्रकरण क्र. 22/अ-6/12-13 पंजीबद्ध कर बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना सूचना के प्रकरण में दिनांक 10.01.2013 को आदेश पारित करते हुए पुर्नविलोकन की अनुमति माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजस्व इन्दौर से चाही गई जिस पर उक्त न्यायालय द्वारा दिनांक 11.01.2013 को बिना पक्षकार को सुने व आहूत करते दूसरे दिन यंत्रवत तरीके से आदेश दिनांक 11.01.2013 पारित किया गया इस कारण सदर निगरानी प्रस्तुत करना भाग हुआ।

आधार :-



1- यह कि, सर्वे नंबर 49/1 ग्राम धतुरिया तहसील एवं जिला इन्दौर की कृषि भूमि संयुक्त खाते की कृषि भूमि रही है इस कारण से उक्त कृषि भूमि सहखातेदार अन्तरसिंह पिता मांगीलाल की एकमेव भूमि स्वामी की नहीं रही होने से विक्रय करने में कानूनी सम्बद्धता अथवा वैधता

- 3 पर

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3269-पीबीआर/2014 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20-2-2019	<p>आवेदकपक्ष की ओर से श्री योगेन्द्रसिंह अधिवक्ता व आवेदक स्वयं उपस्थित। अनावेदक अधिवक्ता श्री देवेन्द्र कुमार व अनावेदक स्वयं उपस्थित । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 22-04-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p> <p> A3</p> <p> (मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>	